मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था, स्वास्थ्य) से संबंधित है।

10 अक्टूबर, 2018

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक -
विक्रम पटेल, शेखर सक्सेना (प्रोफेसर, हार्वर्ड विश्वविद्यालय)

''एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि कैसे बीमार मानसिक स्वास्थ्य विकलांगता, असमय मृत्यु और गरीबी को बढ़ावा देने का कारण बन रहा है।''

'मानसिक स्वास्थ्य' शब्द 'मानसिक बीमारी' के लिए पर्यायवाची बन गया है। हांलाकि, वास्तव में जो इसे होना चाहिए उससे यह बिलकुल विपरीत है, ऐसा इसलिए क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य हमारे पास सबसे मूल्यवान संपत्ति है और यह हमारे मानवता के लिए सबसे जरूरी है।

यही कारण है कि, जब लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों की तुलना करने के लिए कहा जाता है, तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को उन लोगों के रूप में स्थान दिया जाता है जिनसे वे सबसे अधिक डरते हैं।

यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हम विभिन्न क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, हमारे मानसिक स्वास्थ्य सफलतापूर्वक सीखने और उन कौशल को निपुण करने के लिए अंतर्निहित हैं जो हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। लेकिन, अफसोस की बात है कि यह वास्तविकता से काफी दूर है। अभी हाल ही में मेडिकल जर्नल, लैंसेट, ने वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट को लंदन में ब्रिटेन सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

देखा जाये तो, यह दस्तावेज न केवल यह दर्शाता है कि बीमार मानसिक स्वास्थ्य दुनिया भर में बढ़ रहा है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि इसके कारण विकलांगता, असमय मृत्यु और गरीबी भी लगातार बढ़ रही है।

मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले अधिकांश लोगों को उचित देखभाल नहीं मिलती है, जिससे ये लंबे समय तक पीड़ित रहते हैं और गंभीर सामाजिक और आर्थिक नुकसान की मार झेलते रहते हैं। इससे भी बदतर यह है कि वे अक्सर मानवाधिकारों के दुरुपयोग और भेदभाव के अधीन रहते हैं।

भारत की स्थिति दुनिया के सबसे खराब स्तर वाले देशों के मानसिक स्वास्थ्य संकेतकों के बराबर है। भारत में, आत्महत्या अब युवाओं की मौत का प्रमुख कारण बन गया है, शराब के उपयोग को वाणिज्यिक हितों द्वारा स्पष्ट रूप से बढ़ावा दिया जाता है। देखा जाये तो देश में समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं लगभग कहीं नहीं मौजूद हैं।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अनुसार सोच, मनोदशा, अनुभूति तथा याददाश्त में उत्पन्न विकार जो जीवन के सामान्य कामो जैसे निर्णय लेने, यथार्थ को पहचानने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं, मानसिक रोगों के अंतर्गत आते हैं तथा मदिरा तथा ड्रग्स की वजह से उत्पन्न मानसिक विकार भी मानसिक रोगों की श्रेणी में रखा गया है।

यह अधिनियम मानसिक बीमारियों की पहचान के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की सिफारिश करता है। चूंकि बचपन और किशोरावस्था में हमारे अनुभव जीवन के लिए हमारे मानसिक स्वास्थ्य को आकार देते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य को नियोजन सेवाओं के केंद्र में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ रहने वाले लोगों को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मानित किया जाना चाहिए। हर कोई गरिमा, स्वायत्तता, समुदाय में देखभाल और भेदभाव से स्वतंत्रता के हकदार है।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम में प्रावधान है कि खुद के बारे में फैसले लेने में सक्षम होने पर मानसिक बीमारी से जूझ रहा मरीज तय कर सकता है कि उसे किस तरह का इलाज चाहिए। साथ ही, इलाज के दौरान उसके साथ कौन व्यक्ति होगा, यह भी वह तय कर सकता है। यह अधि कार सिर्फ बालिग मरीजों को हासिल होगा। हालांकि, इसके लिए रोगी को किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य बोर्ड से मंजूरी हासिल करनी होगी।

इसमें यह भी प्रावधान है कि मनोचिकित्सक या अन्य स्वास्थ्यकर्मी यदि मरीज द्वारा तय निर्देशों के तहत इलाज नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें भी इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य बोर्ड के पास आवेदन करना होगा।

इन आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए कई कार्रवाइयों की आवश्यकता होगी। सबसे पहला मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के एक आवश्यक घटक के रूप में बढ़ाया जाना चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य की राह में व्याप्त समस्याओं को व्यापक रूप से और दृढ़ता से संबोधित किया जाना चाहिए। तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य को सार्वजनिक नीतियों और देश के शीर्ष नेतृत्व में विकास के प्रयासों से संरक्षित किया जाना चाहिए।

इस प्रयास में स्वास्थ्य के भीतर और उसके बाहर हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होनी चाहिए।

चौथा, नए अवसरों को उत्साहपूर्वक गले लगाया जाना चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अभिनव उपयोग द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

पांचवां, पर्याप्त अतिरिक्त निवेश तत्काल किया जाना चाहिए क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य में बढ़े हुए निवेश के लिए आर्थिक और स्वास्थ्य मामले मजबूत है।

अंत में, अनुसंधान और नवाचार में निवेश मानसिक विकारों के कारणों को समझने के लिए विविध विषयों का उपयोग करना चाहिए और उन्हें रोकने और उनका इलाज करने के लिए अधिक प्रभावी हस्तक्षेप विकसित करना चाहिए।

* * *

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017

संदर्भ-

- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों एवं इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिसंबर, 2006 में अपनाया गया था, जो 3 मई, 2008 को लागू हुआ।
- भारत ने इस घोषणा को 1 अक्टूबर, 2007 को अनुमोदित किया था।
- इसके एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारत द्वारा 'मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 लाया गया था।

मुख्य बिंदु

- 7 अप्रैल, 2017 को 'मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017' को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और यह अधिनियम इसी दिन लागू हो गया।
- यह अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 को प्रतिस्थापित करता है।

इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं

- सभी व्यक्तियों को सरकार द्वारा वित्तपोषित या संचालित संस्थान की मानसिक उपचार एवं देखभाल जैसी सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार होगा।
- मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को उपचार के तरीकों के संबंध में अग्रिम-निर्देश (Advance Directive) देने का एवं विक्षिप्तता की अवस्था में अपने लिए निर्णय लेने वाले प्रतिनिधि को नामित करने का अधिकार होगा।
- अग्रिम-निर्देशित तरीके से उपचार करने पर उत्पन्न किसी भी दुष्परिणाम हेतु सेवा प्रदाता या चिकित्सक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
- संबंधित सरकारों को राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (Central Mental Health Authority) एवं राज्य स्तर पर राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना का अधिकार दिया गया है।

इन प्राधिकरणों के निम्न कार्य होंगे

- सभी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का पर्यवेक्षण एवं पंजीकरण।
- इन संस्थानों हेतु गुणवत्तायुक्त सेवाओं के मानकों का विकास।
- मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सकों का रजिस्टर तैयार करना।
- इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रवर्तन अधिकारियों एवं मानसिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित करना।
- सेवा प्रदान करने में हुई कमी/अपर्याप्तता के खिलाफ शिकायतें स्वीकार करना।
- मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर सरकार को सलाह देना।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. मानसिक रोग से ग्रसित सभी मरीज इलाज की प्रकृति को तय कर सकते हैं।
2. चिकित्सकों को मरीजों द्वारा तय निर्देशों के तहत इलाज करना बाध्य है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

2. वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की जाती हैं।
2. मानसिक बीमारी के कारण विकलांगता, असमय मृत्यु और गरीबी लगातार बढ़ रही है।
3. मानसिक स्वास्थ्य संकेतकों के आधार पर भारत निचले पायदान पर है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) 1 और 2

(b) केवल 1

(c) 1 और 3

(d) उपर्युक्त सभी

नोट :

09 अक्टूबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2(b), 3(c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ''भारत में सार्वजनिक एवं निजी स्तरों पर मानसिक बीमारी एक उपेक्षित विषय रहने के कारण अब यह स्वास्थ्य संकट की ओर अग्रसर है, जिसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे।'' आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है?

(250 शब्द)